THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Energy property Act, 1986.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Enemy Property Act, 1968."

The motion was adopted.

SHRI MOHAN DHARIA. I introduce the Bill.

STATEMENT RE: ENEMY PROPERTY (AMENDMENT) ORDINANCE

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शत्रु-सम्पत्ति (संशोधन) अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

14.13 hrs.

MATTER UNDER 377

NEWS COVERAGE BY AIR AND T.V. OF LOK SABHA PROCEEDINGS RE. LADY HARDINGE MEDICAL COLLEGE ETC.

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहूं, उससे पहले मैं एक एतराज आपके सामने रखूंगा। नियम 377 के अन्तर्गत जो बात कही जाये, वह जिस मंत्रालय से सम्बन्ध रखती हो, सम्बन्धित मंत्री यहां मौजूद न हों तो उसका कोई फायदा नहीं है। दो मंत्री रखे जाते हैं, एक बड़ा मंत्री और दूसरा राज्य मंत्री। लेकिन कोई भी मंत्री आकाशवाणी या दूरदर्शन से सम्बन्धित यहां पर नहीं है।

2451 LS—9.

मैं आपसे चाहूंगा कि आप आदेश दें कि सम्बन्धित मंत्री महोदय सदन में आयें और बात को सुनें। इस तरह से 377 का मतलब क्या होता है, न तो अडवाणी साहब हैं और न श्री जगवीर सिंह यहां मौजूद हैं।

MR.DEPUTY-SPEAKER. Yes, you go on to the subject. It is in order.

श्री मनी राम बागड़ी : क्या जायज है उनका गैर-हाजिर होना ?

उपाध्यक्ष महोदय : 377 के अन्तर्गत जो विषय आप उठा रहे हैं, उसके बाबत किसी मिनिस्टर का यहां पर उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। अगर वह चाहें तो रह सकते है। आप अपना विषय कहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन और आकाशवाणी का रेडियो, असल में भारत के जो बिल्कुल दिल की बात है, उसको यह कवर नहीं करते है। मेरा 377 के अन्तर्गत जो उल्लेख है, वह यह है कि 14 तारीख को जागरूक जनता पक्ष ने एक लाख आदमियों की रैली की और उस रैली को स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण ने संबोधित किया। आकाशवाणी के मंत्री श्री जगवीर सिंह और दूसरे कितने ही वहां साथ-साथ थे, लेकिन दूरदर्शन और आकाशवाणी ने उसको छुआ नहीं। हालांकि उसमें कितने ही दूसरे राज्यों के मम्बर थे।

इसी तरीके से यहां पर मैंने लोक-सभा में जब स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण ने लेडी हार्डिंग अस्पताल बिल रखा, तब मैंने उसमें एक प्रस्ताव किया था कि लेडी हार्डिंग के बजाय श्रीमती सुचेता कृपालानी

[श्री मनी राम बागड़ी]

का नाम होना चाहिए। उसकी एक गलत भावना आकाशवाणी से दी गई कि मैंने नाम बदलने की मांग की है।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I want to say something on that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ravi, you must know the procedure. I am sorry you are unnecessarily trying to get up and want to say something. But, Shri Bagri has been permitted.

श्री मनी राम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, नाम बदलने में मतलब नहीं है। उसके पीछे यह इतिहास था कि विदेशी साम्राज्य और हाकिमों के नाम के बजाय भारत की आजादी के लिए जान-संघर्ष में लड़ने वाली श्रीमती सुचेता कृपालानी का नाम उसमें जोड़ा जाये। यह बात आकाशवाणी से गलत ढंग से प्रसारित हुई। इससे भारत की जनता की राष्ट्रीयता जो उभरनी चाहिए थी, वह नहीं उभर सकी। इस प्रकार आकाशवाणी ने भारत की राष्ट्रीयता का अपमान किया है।

ऐसे इसी तरह मुझे आकाशवाणी और दूरदर्शन से यह भी शिकायत है कि जब हम उन्नीस महीनों तक जेलों में थे, तो ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन कर अपना वक्त काटा करते थे, लेकिन अब उस कार्यक्रम को भी हटा दिया गया है, मानो इन विभागों को मथुरा से कोई द्वेष है। मथुरा को बच्चों के बजाने वाले बाजे जैसा, एक पीपे जैसा, एक छोटा सा रेडियो स्टेशन दे दिया गया है, जिस का प्रसारण केवल 80 मील तक सुना जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह भारत की संस्कृति और सभ्यता को फैलने से रोका जा रहा है।

अच्छा होता कि मंत्री और राज्य मंत्री दोनों इस समय सदन में उपस्थित होते। मैं कहना चाहता हूं कि इन विभागों की शुद्धि करने की आवश्यकता है। अगर आकाशवाणी एक लाख किसानों की आवाज को कवर नहीं करता है, उस का प्रसारण नहीं करता है, तो यह हिन्दुस्तान के कोटि कोटि किसानों के साथ अन्याय है। श्रीमती सुचेता कृपालानी जैसी महान् राष्ट्रीय कार्यकर्त्री का नाम न दे कर आकाशवाणी ने राष्ट्रीयता के प्रति बड़ा अपमानजनक काम किया है।

मैं समझता हूं कि शायद आकाशवाणी और दूरदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। नये मंत्री आ गये हैं, लेकिन सन्तरी नहीं बदले हैं, जो शुक्ला जी के साथ चला करते थे। आज सन्तरी मन्त्री को कंट्रोल करते हैं, मन्त्री सन्तरी को नहीं। मैं चाहता हूं कि आईंदा इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए।

14.15 hrs.

MOTION *RE*: TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES.

AND

DISCUSSION ON THE EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES AGAINST RESERVED QUOTA—*contd.*

MR DEPUTY SPEAKER: Now, we take up further consideration of the Motion moved by Prof. Madhu Dandavate and further discussion on the employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Shri C. N. Viswanathan may continue his speech.

SHRI C. N. VISWANATHAN (Tiruppattur): Mr. Deputy Speaker, Sir, as I said yesterday, the same response is shown today in the House regarding this important Motion which has been moved by Prof. Dandavate. We